परियोजना डेटा शीट का यह हिन्दी अनुवाद इसके अंग्रेजी संस्करण दिनांक 25 नवम्बर 2015 पर आधारित है।

ASIAN DEVELOPMENT BANK

एशिया विकास बैंक

भारत : कर्नाटक एकीकृत और स्थायी जल संसाधन प्रबंधन निवेश कार्यक्रम – परियोजना 1

परियोजना का नाम	कर्नाटक एकीकृत और स्थायी जल संसाधन प्रबंधन निवेश कार्यक्रम – परियोजना 1
परियोजना संख्या	43253-023
देश	भारत
परियोजना की स्थिति	अनुमोदित
परियोजना प्रकार/सहायता की विधि	ऋण
वित्तपोषण का स्रोत / राशि	**ऋण 3172 आईएनडी : कर्नाटक एकीकृत और स्थायी जल संसाधन प्रबंधन निवेश कार्यक्रम – परियोजना 1** साधारण पूंजी संसाधन — यूएस $ 31.00 मिलियन
रणनीतिक कार्यसूची	पर्यावरण अनुकूल स्थायी विकास समावेशी आर्थिक विकास
परिवर्तन के प्रेरक	अभिशासन और क्षमता विकास ज्ञान समाधान भागीदारियां
सेक्टर/सब–सेक्टर	**कृषि, प्राकृतिक संसाधन और ग्रामीण विकास** – सिंचाई – ग्रामीण जल नीति, संस्थानिक और क्षमता विकास – जल – आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
लैंगिक समानता और मुख्यधारीकरण	प्रभावोत्पादक लैंगिक मुख्यधारीकरण
विवरण	एडीबी और भारत सरकार साथ मिलकर कर्नाटक राज्य में किसानों के लिए जल और सिंचाई सेवाओं में सुधार लाने हेतु कार्य कर रहे हैं। कर्नाटक एकीकृत और स्थायी जल संसाधन प्रबंधन निवेश कार्यक्रम राज्य में लोगों को जल नदी घाटियों में रोक रखने में सहायता कर रहा है ताकि यह पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव डालते हुए विभिन्न उपयोगकर्ताओं में बराबर बांटा जा सके। यह एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (आईडब्ल्यूआरएम) के सिद्धांतों के तहत किया जा रहा है, जिसको विश्व के अनेक देशों में श्रेष्ठ जल पद्धतियां स्थापित करने के रूप में मान्यता

	प्राप्त है। इस कार्यक्रम से सरकारी अभिकरण तथा लाभार्थी समुदाय नदी घाटियों में जल प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य सिद्धांतों को अपनाकर लाभान्वित होंगे। इसमें प्रशिक्षु कार्यक्रमों में तथा समुदाय जल संघों के प्रबंधक पदों पर महिलाओं को शामिल करने पर फोकस किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें जल प्रबंधन कुशलता के साथ किया जाता है तथा दीर्घावधि में उसमें समुदायों, किसानों और उद्योगों को बराबर हिस्सेदारी दी जाती है।
परियोजना तर्काधार और कंट्री/क्षेत्रीय रणनीति के साथ संबंध	कर्नाटक भारत का ऐसा राज्य है जहां सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग तेजी से पनप रहा है तथा कृषि सेक्टर अपेक्षाकृत कम है। इसके बावजूद, कृषि कार्य राज्य में रोजगार प्रदान करने में पहले स्थान पर है। राज्य की आधी आबादी कृषि में कार्यरत है। कर्नाटक में लाखों लोग कृषि पर आश्रित हैं, किसानों को जल की आपूर्ति तेजी से कम हो रही है। बढ़ते नगर और तेजी से विकसित हो रहे उद्योग राज्य के जल का भारी मात्रा में उपयोग कर रहे हैं तथा राज्य के किसान सूखे का सामना कर रहे हैं। बहुधा पड़ने वाला सूखा और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से स्थिति और भी खराब होने की आशा की जाती है। वर्तमान में, राज्य के जल का 80 प्रतिशत से अधिक भाग सिंचाई के काम आता है पर अकुशल व्यवस्था के कारण अधिकांश जल बर्बाद हो जाता है तथा सिंचाई की जरूरत वाले अनेक कृषि क्षेत्र सूखे रह जाते हैं। घटिया इन्फ्रास्ट्रक्चर, जैसेकि पुराने जल नियंत्रण स्ट्रक्चर तथा दोषपूर्ण रखरखाव समस्या को और भी उग्र बना देता है। जल बचतकारी फसलें तथा किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धतियां भी सीमित हैं। भारत सरकार का मानना है कि राज्य के किसानों, कारखानों, निजी उपभोक्ताओं तथा अन्य के लिए जल की समुचित व्यवस्था के क्रम में अधिक कुशल व्यवस्था की जरूरत है। रणनीतिक संदर्भ, भारत सरकार से सम्पर्क, तथा एडीबी रणीनीतियां। कर्नाटक राज्य की मध्यावधि योजना में गरीबी कम करने तथा स्थायी मानव विकास के लिए ग्रामीण आय बढ़ाने तथा उद्योगीकरण एवं शहरीकरण की एक स्थायी एवं व्यवस्थित प्रक्रिया हासिल करने के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों की अधिक स्पष्टता पर बल दिया गया है। राज्य की जल नीति 2002 में प्रत्येक हाइड्रोलॉजिकल यूनिट के लिए लोकोपकारी जल संसाधन योजना, विकास तथा प्रबंधन के उपक्रम का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय जल आयोग, 2011 ; राष्ट्रीय जल नीति, 2012 ; तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012–2017 सभी विभिन्न उपयोगकर्ताओं के मध्य जल संसाधन की एकीकृत योजना का समर्थन करते हैं। यह निवेश कार्यक्रम जल संसाधन प्रबंधन के लिए आधारसंरचना विकास, कृषि में मूल्य वृद्धि बढ़ाने के लिए सिंचाई आधारसंरचना में निवेश ओर जल उपयोग कुशलता वृद्धि के लिए उपाय विकसित करने के रूप में परिचालन के मूल क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण द्वारा भारत के लिए एडीबी की रणनीति 2020 की मध्यावधि समीक्षा तथा देश भागीदारी रणनीति 2013–2017 के साथ सुसंगत है। यह निवेश कार्यक्रम एडीबी जल परिचालन योजना 2011–2020 के भी अनुरूप है। यह जलवायु परिवर्तन अनुकूलन ; प्रतिस्पर्धी उपयोगों के लिए उपलब्धता बढ़ाने के लिए जल उपयोग की कुशलता में सुधार सहित आईडब्ल्यूआरएम को एक अनुकूल प्रबंधन प्रक्रिया के रूप में अपनाने द्वारा जल प्रबंधन में सुधार हेतु भी सहायक

	होगा। राज्य में आईडब्ल्यूआरएम दृष्टिकोण अपनाने के लिए अनेक सक्षम कारण मौजूद हैं, जिनमें (i) जल संसाधनों की अपर्याप्तता तथा उनके संकट को मान्यता; (ii) प्रगतिशील नीति वक्तव्य; (iii) जल संसाधन आधारसंरचनाओं में बड़े निवेश; (iv) तकनीकी क्षमता; और (v) एक प्रगतिवादी दृष्टिकोण, जैसाकि राज्य डब्ल्यूआरडी की अर्द्ध–स्वतंत्र संस्थाओं यथा सिंचाई निगमों अथवा निगमों, कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरणों (सीएडीए'ज) तथा उन्नत एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन केन्द्र (एसी–आईडब्ल्यूआरएम) द्वारा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, शामिल हैं। शहरी जल प्रबंधन में सुधार एक अलग एडीबी–वित्तपोषित निवेश कार्यक्रम द्वारा संबोधित किया जाएगा। ये दो निवेश कार्यक्रम एसी–आईडब्ल्यूआरएम के माध्यम से निकट रूप से समन्वित किए जाएंगे।
प्रभाव	कर्नाटक में चुनिंदा नदी घाटियों में एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन का सफल कार्यान्वयन।

परियोजना परिणाम

परिणाम का वर्णन	कृष्णा–8 (के–8) उपघाटी के लिए नदी घाटी योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई।
परिणाम की दिशा में प्रगति	

कार्यान्वयन प्रगति

परियोजना आउटपुट्स का वर्णन	राज्य तथा घाटी संस्थाएं आईडब्ल्यूआरएम हेतु सुदृढ़ीकृत। सिंचाई प्रणाली आधारसंरचना तथा प्रबंधन आधुनिकीकृत परियोजना तथा प्रबंधन प्रणालियां प्रचालनीय
कार्यान्वयन प्रगति की स्थिति (आउटपुट्स, गतिविधियां और मुद्दे)	
भौगोलिक अवस्थिति	

संरक्षा संवर्ग

पर्यावरण	ख
अस्वैच्छिक पुनर्वास	ग
स्वदेशी लोग	ग

पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक मुद्दों का सारांश

पर्यावरण–पहलू	परियोजना 1 एडीबी के सुरक्षोपाय नीति वक्तव्य (2009) के अनुसरण में पर्यावरण हेतु संवर्ग "ख" में रखी गई है। इसमें गोंडी मध्यम सिंचाई उपपरियोजना के लिए नहर आधुनिकीकरण तथा उपघाटी के भीतर प्रवाह मापन उपकरणों का संस्थापन शामिल है। परियोजना 1 के लिए एक प्रारंभिक पर्यावरण जांच तैयार की जा चुकी है। अनुवर्ती उपपरियोजनाओं के मार्गदर्शन तथा हस्तक्षेपों के विकास हेतु एमएफएफ के लिए एक पर्यावरण आकलन तथा समीक्षा संरचना भी विकसित की जा चुकी है। प्रभावित स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श किया जाएगा तथा शिकायत निवारण के लिए राज्य में विद्यमान तंत्र का आश्रय लिया जाएगा।
अस्वैच्छिक पुनर्वास	परियोजना 1 अस्वैच्छिक पुनर्वास के लिए संवर्ग "ग" में रखी गई है। ऐसा परियोजना में मौजूदा नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण विद्यमान मार्गाधिकार के भीतर किया जाना शामिल है तथा डब्ल्यूआरडी अनुरक्षण कार्यों के लिए तथा अभिगम के लिए नहरों के किनारे पहले ही से 5 मीटर मार्गाधिकार का धारक है। परियोजना 1 के अधीन अस्वैच्छिक पुनर्वास के परिणामस्वरूप कोई भूमि अधिग्रहण अथवा अन्य हानियां नहीं होंगी। समग्र एमएफएफ के लिए सुरक्षोपाय नीति वक्तव्य के अनुसार एक पुनर्वास संरचना तैयार की जा चुकी है तथा अनुवर्ती परियोजनाओं में इसका अनुसरण किया जाएगा।

स्वदेशी लोग	परियोजना 1 स्वदेशी लोगों के सुरक्षोपाय हेतु संवर्ग "ग" में रखी गई है। निवेश कार्यक्रम के अधीन परियोजना 1 अथवा अनुवर्ती परियोजनाओं के क्षेत्रों में कोई स्वदेशी लोग नहीं है, जैसाकि सुरक्षोपाय नीति वक्तव्य में परिभाषित किया गया है। चूंकि अनुवर्ती परियोजनाएं भी संवर्ग "ग" में होंगी, अतः स्वदेशी लोग योजना संरचना तैयार नहीं की गई है।

स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श

परियोजना डिजाइन के दौरान	एडीबी द्वारा परामर्श प्रक्रिया की पहल सूचना प्राप्त करने, उस स्थानीय संदर्भ के बारे में जानने, जिसमें कि परियोजना निष्पादित की जाएगी, मुद्दे उठाने तथा चिंताएं व्यक्त करने, प्रश्न पूछने और एडीबी के विचारार्थ और प्रतिक्रिया के लिए सुझाव प्रस्तुत करने द्वारा परियोजना को स्वरूप प्रदान करने में संभावित सहायता के एक अवसर के रूप में की गई थी। इसके अतिरिक्त, प्रोसेस को गति देने तथा कार्यान्वयन के दौरान चुनौतियां कम करने के लिए स्टेकहोल्डर्स से परियोजना तथा संबंधित गतिविधियों का स्तर बढ़ाने में सहायता के लिए प्रतिभागिता एवं परामर्श (पी एवं सी) प्रक्रिया प्रारंभ की गई। पी एवं सी से दीर्घकाल में विकास गतिविधियों की प्रभावोत्पादकता, प्रासंगिकता और सम्पोषणीयता सुधार की भी आशा की जाती है।
परियोजना कार्यान्वयन के दौरान	प्रतिभागिता एवं परामर्श (पी एवं सी) प्रक्रिया का लक्ष्य स्टेकहोल्डर्स को परियोजना की योजना एवं गतिविधियों की सूचना प्रदान करना है। परामर्श और संचार एक सतत कार्य और परियोजना का अभिन्न अंग होगा। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए, कार्यक्रम संचार योजना पी एवं सी प्रोसेस को आगे बढ़ाने का साधन होगा। कार्यक्रम संचार योजना में परियोजना की संचार आवश्यकताओं की एक श्रृंखला शामिल की गई है। प्रथम, यह परियोजना प्रबंधन द्वारा कारगर परियोजना कार्यान्वयन और सुरक्षोपायों के लिए जागरूकता तथा प्रतिभागिता सुकर बनाने के लिए अपनाई जाने वाली स्टेकहोल्डर परामर्श प्रक्रिया की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। दूसरे, यह उस व्यापक लक्ष्यवर्ग को परियोजना से परिचित कराने तथा उसकी व्याख्या करने की जरूरत को संबोधित करता है, जो परियोजना के लिए समर्थकारी माहौल को प्रभावित कर सकता है। अंततः, यह सरकार द्वारा आरंभ किए जा रहे आईडब्ल्यूआरएम–आधारित जल प्रबंधन कार्यों के बारे में उनके समर्थन, ज्ञान और प्रतिभागिता स्पष्ट करने के लिए राज्य में तथा राज्य से बाहर आम जनता को सूचना भी प्रदान करता है।

व्यवसाय के अवसर

परामर्शी सेवाए	परामर्शी सेवाओं से कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु तकनीकी सहायता प्राप्त होगी। इस परियोजना के लिए (i) परियोजना सहायता परामर्शदाता (पीएससी'ज), (ii) एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (आईडब्ल्यूआरएम), तथा (iii) मॉनीटरन तथा मूल्यांकन हेतु सेवाएं (पर्यावरण और प्रभाव मॉनीटरन सहित) तीन प्रमुख परामर्श सेवा पैकेज होंगे। फर्म्स की नियुक्ति गुणवत्ता– तथा लागत–आधारित चयन विधि के उपयोग द्वारा की जाएगी।
अधिप्राप्ति	कार्यों तथा उपस्कर का समस्त प्रापण एडीबी के प्रापण दिशानिर्देश (मार्च, 2013 समय–समय पर संशोधित अनुसार) के अनुसार निष्पादित किया जाएगा, जबकि परामर्शदाताओं की नियुक्ति तथा अन्य सेवाओं हेतु अनुबंध एडीबी के परामर्शदाता उपयोग दिशानिर्देश (मार्च, 2013 समय समय पर संशोधित अनुसार) के अनुसार निष्पादित किया जाएगा। सिविल कार्यों में गोंडी उपपरियोजना के संबंध में सिंचाई अवसंरचना का आधुनिकीकरण शामिल है। छोटे सामुदायिक कार्य लघु नहर तथा सामुदायिक क्षेत्र विकास कार्यों से जुड़ी जल प्रयोक्ता सहकारी समितियों द्वारा निष्पादित किए जाएंगे।

जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	निशान्तिमंजुलाअमरसिंघे
जिम्मेदार एडीबी विभाग	दक्षिण एशिया विभाग
जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन एवं कृषि प्रभाग, एसएआरडी
निष्पादक अभिकरण	कर्नाटक नीरवारि निगम लिमिटेड PDADB.KNNL@GMAIL.COM चतुर्थ तल, कॉफी बोर्ड बिल्डिंग, सं. 1, डा. बी. आर. अम्बेडकर वीधि, बेंगलुरू, कर्नाटक, भारत

समयतालिका

अवधारणा मंजूरी	-
तथ्य अन्वेषण	-
एमआरएम	24 जुलाई 2013
अनुमोदन	17 अक्टूबर 2014
अंतिम समीक्षा मिशन	-
अंतिम पीडीएस अद्यतन	15 जुलाई, 2015

ऋण 3172–आईएनडी

मीलपत्थर

अनुमोदन	हस्ताक्षर तिथि	प्रभावोत्पादकता तिथि	अनुमोदन समापन		
			मूल	संशोधित	वास्तविक
17 अक्टूबर 2014	07 मई 2015	13 जुलाई 2015	31 मार्च 2019	-	-

वित्तपोषण योजना

	योग (राशि मिलियन अमेरिकी डालर में)
परियोजना लागत	48.00
एडीबी	31.00
पूरक	17.00
सहवित्तपोषण	0.00

ऋण उपयोग

तिथि	एडीबी	अन्य	शुद्ध प्रतिशत
संचयी संविदा पुरस्कार			
17 अक्टूबर 2014	0.00	0.00	0%
संचयी संवितरण			
17 अक्टूबर 2014	0.00	0.00	0%

परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम के विषय में संक्षिप्त सूचना होती है। चूंकि पीडीएस एक प्रगति अधीन कार्य होता है, कुछ सूचनाएं इसके प्रारंभिक संस्करण में शामिल नहीं हो सकती हैं, परंतु इनके उपलब्ध होने पर शामिल कर ली जाएंगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में सूचना अनन्तिम और संकेतात्मक है।

एडीबी इस परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में दी गई जानकारी इसके उपयोगकर्ताओं को, किसी भी प्रकार के आश्वासन के बगैर, केवलतम संसाधन के रूप में उपलब्ध कराता है। जबकि एडीबी उच्च गुणवत्ता की विषयसामग्री उपलब्ध कराता है, तथापि उपलब्ध कराई गई जानकारी "जैसी है" आधार पर, व्यापारयोग्यता, किसी विशेष प्रयोजन हेतु उपयुक्तता और अनातिक्रमण की सीमानिर्धारण वारंटियों सहित किसी भी प्रकार की वारंटी, लिखित या अभिप्रेत, के बिना उपलब्ध कराई जाती है। एडीबी विशेष रूप से ऐसी किसी भी जानकारी की सटीकता अथवा पूर्णता के संबंध में कोई वारंटी अथवा अभिवेदन प्रस्तुत नहीं करता है।